# कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

कमांक अनु.प्रथम/सी/2022/05 दिनांक 02.02.2022

## कार्यालय आदेश

### कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल (डिप्लोमाधारी) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2020 के विरूद्ध बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2020 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल (डिप्लोमाधारी) के जारी किये गये परिणाम दिनांक 29.07.2021 एवं संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 06.08.2021 के कम में बोर्ड के पत्र कमांक प.14(81)(1) RSSSB/अर्थना/कनि.अभि0/पात्रता जांच/2021/1323 दिनांक 03.11.2021 की निरन्तरता में इस विभाग के आदेश कमांक अनु0प्रथम/सी/2022/02 दिनांक 06.01.2022 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल (डिप्लोमाधारी) के सीधी भर्ती के गैर अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर श्रेणीवार संयुक्त रूप से अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम–1973 एवं संशोधन 2011, 2019 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख वर्णित वरीयता के आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेखित शर्तो के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल (डिप्लोमाधारी) के पद पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान करते हुए, इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में निम्नानुसार किया जाता है :–

| S. No | Roll No. | Merit No. | Bel. Cat. | Sel. Cat. | Name | Father's Name | DOB | Place of posting | Report to EE (Civil Dn.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 407323 | 7223 | MBC | MBC EX | Om Prakash Gurjar | Ram Dev Gurjar | 05.06.78 | Sec. Gendoli, Sub Dn.I, Lakheri | Dn. Lakheri, Bundi |

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में इन्हें नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/– (अक्षरे रू0 तेईस हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा । परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–10 में उल्लेखित न्यूनतम वेतन रू0 33800/– (अक्षरे रू0 तैंतीस हजार आठ सौ मात्र) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगें ।

उक्त आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा किये गये चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जारी किये जाते हैं ।

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. नियुक्ति पूर्णतः प्रोविजनल है, संबंधित सेवा नियमों में किसी भी प्रकार के होने वाले संभावित संशोधन के अध्ययधीन परिवर्तनीय होंगी अथवा समाप्त भी की जा सकती है ।
2. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से तीन सप्ताह के अन्दर खण्ड कार्यालय में (कार्यालय अध्यक्ष के समक्ष) पद का कार्यभार सम्भालना होगा । निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेगें तथा किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी ।
3. उक्त कार्मिक पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004, संशोधित आदेश दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य प्रवर्तनीय आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें ।

4. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुकमिक शासित होगी एवं इन पर समय–समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगें ।
5. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इनकी वरिष्ठता का निर्धारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर ही होगा ।
6. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से संबंधित अधिशाषी अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी ।
7. कार्मिक (क–ग्रुप–II) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ. 1(5)डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 के कम में उक्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में कम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के पुलिस विभाग से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट लम्बित है, बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने पर, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अंकित पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए, इन्हें राज्य सेवा से पदच्युत किया जा सकेगा । जिसमें प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी । इस बाबत् उक्त अभ्यर्थियों को राशि रू0 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र पदस्थापन कार्यालय में नियन्त्रण अधिकारी को उपस्थिति प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा । नियन्त्रण अधिकारी अभ्यर्थी से प्राप्त मूल शपथ पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें ।
8. कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता, जन्म दिनांक (सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर, जो अपरिवर्तनीय होगी), आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी मूल दस्तावेजों से सत्यापन कर स्व–सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर ली जावें ।
9. कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/फोटो युक्त परिचय पत्र/विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र एवं सन्तात संबंधी शपथ–पत्र (कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा) निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति करावें इसके साथ ही विवाह के समय दहेज नहीं लिये जाने संबंधी शपथ पत्र एवं धुम्रपान नहीं करने संबंध में शपथ पत्र तथा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे ।
10. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐं एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा इनकी सेवायें तत्काल समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
11. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें पदस्थापन कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश प्रस्तुत करना होगा ।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

2/2/2022
(संजीव माथुर)
मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर

कमांक प.–44(2)/अनु.प्रथम/सी/2022/प्रे.–153 दिनांक 02.02.2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
2. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।

4. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
5. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
6. निजी सचिव, मुख्य अभि. एवं अति. सचिव, सानिवि राज0 जयपुर ।
7. वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
8. अतिरिक्ति मुख्य अभियन्ता, सानिवि, संभाग–कोटा ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत–बून्दी ।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड – लाखेरी (बून्दी) ।
11. सहायक अभियन्ता, सानिवि उपखण्ड–प्रथम, लाखेरी (बून्दी) ।
12. श्री ओम प्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामदेव गुर्जर, ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस–काबरा, तह0 व जिला टोंक – 304001 को पालनार्थ ।
13. एसीपी (आई.टी.), सानिवि राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
14. तक. सहा. प्रथम/रक्षित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

2.2.22

(आरिफ मोहम्मद खान)
उप सचिव (कार्य)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर